राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (खैरथल–तिजारा)

अध्याशित:– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस0

[illegible] दायर दिनांक 02.12.2024 | निर्णय दिनांक 03.02.2025

[illegible] 2024

उनवान

1. [illegible] पुत्र श्री हुकमसिंह
2. [illegible] पुत्र हुकमसिंह जाति अहीर निवासी तिनकीरूडी तहसील मुण्डार हाल वार्ड नं0 34 [illegible] तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा राज0। :–प्रार्थीगण

बनाम

1. [illegible] पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर
2. [illegible] यादव पुत्र तेजपाल जाति अहीर
3. [illegible] यादव पुत्र तेजपाल जाति अहीर निवासी वार्ड सं0 34 हनुमान पहाडी के पास [illegible] तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा राज0।
4. [illegible] तहसीलदार लैण्ड होल्डर खैरथल जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0टी0ऐ0

उपस्थिति– प्रार्थीगण की ओर से श्री सुधीर कुमार गुप्ता जी वकील।
अप्रार्थीगण की ओर से श्री राजेश कांवटा जी वकील।

// निर्णय //

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:–

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल ख0नं0 3126/4652 रकबा 0.0300हे0, 3126/4651 रकबा 0.87हे0 वाके ग्राम खैरथल तहसील खैरथल जिला हाल खैरथल–तिजारा राज0 में स्थित है। जो आराजी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी सं0 2075–78 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

आराजी हाल ख0नं0 3126/4652 रकबा 0.0300हे0 गैर मु0चाह वाके खैरथल तहसील खैरथल में हम प्रार्थीगण का 1/2 भाग तथा अप्रार्थीगण का 1/2 भाग कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा ख0नं0 3126/4651 रकबा 0.87हे0 अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त की आराजी है वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी संलग्न है।

विवादित आराजी खसरा नं0 3126/4652 रकबा 0.03हे0 चाह हम प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की शामलाती है जिस पर हम प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण शामलात में काबिज व दखिल है। हम पक्षकारान के दरम्यिान आज तक कोई तकारामा नही हुआ है तथा विवादित आराजी पर हम पक्षकारान सामलात में ही काबिज व दखिल होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। जब तक विवादित आराजी का कानूनन व वास्तविक बंटवारा नही हो जाता है तब तक प्रत्येक इंच भाग भूमि पर प्रत्येक हिस्सेदार का पूर्ण हक हिस्सा निहित है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

[illegible] वाद के [illegible] हुआ आराजी खसरा नं0 3126/4651 रकबा 0.87हे0 स्थित है [illegible] अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिसका अप्रार्थीगण बेजा [illegible] उक्त वाद के नम्बर को अपने खसरा नम्बर में मिलाते हुये आराजी में [illegible] है जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार हासिल नही है हम [illegible] कानून द्वारा रक्षित है लिहाजा अपने अधिकारों की रक्षार्थ वादपत्र [illegible] है।

[illegible] जो ताकतवर व धनबल वाले व्यक्ति है जो कानून कायदों की कतई [illegible] करते है तथा जबरदस्ती हम प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से पर जबरदस्ती कब्जा [illegible] करते है तथा आये रोज मिन प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में मजाहमत व [illegible] करते है। ऐसी सूरत में हम प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के साथ शामलात में [illegible] करना संभव नही है इसलिए मिन प्रार्थीगण अपने 1/2 भाग का तकासमा [illegible] कराकर अलग से कुर्रेजात कायम कराने व अलग से लगान [illegible] कराने के हकदार है व अलग से दखल प्राप्त करने का हकदार है कि जिसके [illegible] दायर करना लाजिम आया है।

अप्रार्थीगण समस्त द्वारा हम प्रार्थीगण को ऐलानिया तौर पर धमकी दी जा रही है वो [illegible] व डीलरों के साथ मिलकर विवादित आराजी में प्लॉटींग करेंगें, रास्ता का [illegible] जबकि अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी खसरा नं0 3126/4652 व 3126/4651 [illegible] भूमि में ना तो कनवर्ट कराया है विवादित आराजी कृषि भूमि है कानूनन कृषि [illegible] प्लॉटींग नही की जा सकती लेकिन अप्रार्थीगण भू माफिया व डीलरों के साथ [illegible] विवादित आराजी में प्लॉटींग करने, रास्ता बनाने पर आमदा है जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकारी हासिल नही है मिन प्रार्थीगण के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है लिहाजा अपने अधिकारो की रक्षार्थ हेतु वादपत्र दायर करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को ता फैसला दावा जरिये हुक्मइम्तनाई चन्दरोजा पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी खसरा नं0 3126/4652 रकबा 0.0300हे0, 3126/4651 रकबा 0.87हे0 वाके ग्राम खैरथल तहसील खैरथल को बिना आवासीय भूमि कन्वर्ट कराये कोई प्लॉटींग नही करे, ना रास्ता निर्माण हेतु कोई मिट्टी वगैरा डाले, ना विवादित आराजी में कोई किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करे, ना विवादित आराजी का कोई जुज किसी दीगर सख्स को रहन बैय हिबा लीज इत्यादि से मुन्तकिल करे, मौका व रिकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी से तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने मय वकील उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण आराजी खसरा नं0 3126/4651 रकबा 0.87हे0 के खातेदारान ही नही है तो उन्हे उक्त खसरा नम्बर की बाबत् वाद दायर करने का कोई अधिकारी हासिल नही है प्रार्थीगण ने उक्त खसरा नम्बर को बेजा रूप से विवादित बनाया हैं। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावें।

आराजी खसरा नं0 3126/4652 रकबा 0.03हे0 में 1/2 भाग प्रार्थीगण व 1/2 भाग हम जवाबदारान का हिस्सा है जिसका मौके पर बाहमी बंटवारा हुआ पडा है यदि उक्त खसरा नम्बर का बंटवारा कर दिया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नही है। वादीगण ने उक्त खसरा नम्बर की आड में खसरा नं0 3126/4651 रकबा 0.87हे0 को शामिल वादपत्र किया है जो गलत रूप से शामिल किया गया है इसलिए उक्त खसरा नम्बर को

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

बटवारा से डिक्रीत किया जाकर हटाया जावें। विवादित आराजी जिसका मौके पर बटवारा हुआ पड़ा है यदि उक्त ख0न0 का बटवारा कर दिया जाता है प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिसमे वादीगण का कोई किसी प्रकार का लेना देना नही है। हमारे द्वारा आराजी में कोई किसी प्रकार की कार्यवाही नही की जा रही है ना ही कही पर बेचान किया जा रहा है वादी ने वाद की आड में हमारे खातेदारी के नम्बर पर बेजा रूप से शामिल कर वादपत्र दायर किया है वादीगण वादीगण द्वारा समस्त मनघडंत वो झूठी दर्ज है वादीगण हम प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी नही है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 02.12.24 ताफैसला दावा स्थाई किये जाने का निवेदन किया। तथा वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र पर विवादित आराजी ख0न0 3126/4651 के वादीगण खातेदार काश्तकार नही होने, कोई संबंध सरोकार नही होने के कारण उक्त ख0न0 के संबंध में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 02.12.24 को खारिज करने का निवेदन किया।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र तथा संलग्न दस्तावेजात जमाबंदी सं0 2075–78 के अनुसार ख0नं0 3126/4652 के संबंध में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज है परन्तु ख0नं0 3126/4651 के संबंध में प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। मूल वाद में चूंकि विभाजन एवं स्थाई निषेद्याज्ञा का अनुतोष चाहा गया है परन्तु जो व्यक्ति रिकार्डेड खातेदार ही नही है उसके विभाजन एवं स्थाई निषेद्याज्ञा संबंधी अधिकार उत्पन्न नही होते है। अतः ख0नं0 3126/4651 के संबंध में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है और न ही प्रार्थीगण को इस खसरें के संबंध में कोई अपूर्णीय क्षति होने की कोई संभावना प्रतीत होती है। अतः ख0नं0 3126/4651 कें संबंध में पूर्व में जारी अस्थाई निषेद्याज्ञा दिनांक 02.12.2024 को निरस्त किया जाता है। वहीं चूंकि आराजी ख0नं0 3126/4652 में प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है अतः उनके विभाजन कराने तथा निषेद्याज्ञा प्राप्त करने के अधिकार बने हुए है तथा जिसके विभाजन के संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा भी सहमति जाहिर की है। अतः पूर्व में जारी अस्थाई निषेद्याज्ञा दिनांक 02.12.2024 को आराजी ख0नं0 3126/4652 की हद तक ताफैसला दावा स्थाई किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे। सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ–बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner